झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2005

[सभा द्वारा पारित]

[झारखण्ड अधिनियम संख्या 5/2005]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2005

[सभा द्वारा पारित]

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) में संशोधन हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**-(1) यह अधिनियम, झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा ।

(2) यह तुरन्त प्रभावी होगा ।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

2. **झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा-67(क) के परिच्छेद का प्रतिस्थापन:**-धारा-67, उपधारा (क) में निम्न परिच्छेद "अन्य विधि में या नियमों का न्यायालय द्वारा किए गए निर्णयों में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में शैक्षिक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि वह होगी, जिस तिथि को वह साठ वर्षों की आयु पूरी कर लें ।"

निम्न प्रावधानों से प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :-

"विश्वविद्यालय या महाविद्यालय शिक्षकों एवं परिनियम द्वारा घोषित उनके समतुल्य अधिकारी की सेवा निवृत्ति की तिथि इस विधेयक के राज्य के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से वह होगी जिस तिथि को वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें । शिक्षकेत्तर कर्मचारी की सेवा निवृति की तिथि वह होगी जिस तिथि को वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें ।"

यह विधेयक झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2005 दिनांक 4 जुलाई, 2005 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 4 जुलाई, 2005 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(इन्दर सिंह नामधारी)
अध्यक्ष ।

मै इस विधेयक पर अनुमति प्रदान करता हूँ ।

सैय्यद सिब्ते रजी,
राज्यपाल, झारखण्ड ।

राँची :
दिनांक 23 जुलाई, 2005

सच्ची प्रतिलिपि

सीताराम सहनी,
सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 74--81--10-12-2005--शनि मुण्डा ।